किस्म मुकदमा ....

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
1-7-24	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 26-7-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
26-7-24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर डिलेवरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया।। विपक्षीगण को कितनी बार पु. पु. कर आवाजे दिलायी जाने के बाद अनुपस्थित, इसलिए विरुद्ध एक.तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा० प० स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काटी उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान –सरकार

न्यांयालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 250/24 प्रार्थना पत्र

1– श्री हीरा S/o रायमल गुर्जर निवासी-राजपुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1– श्री लेहरू S/o प्रताप गुर्जर निवासी-राजपुरा तहसील-माण्डल [मौका] [प्रत्यंकित प्रपत्र समेत]

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 26.7.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीमडियास तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 205 कुल किता 01 रकबा 0.0885 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.07.24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीमडियास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 205 कुल किता 01 रकबा 0.0885 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा को 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा